न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 – 257/2019

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुखविन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रमित सिंह पुत्र मनजीत सिह पुत्र तारा सिंह,नाबालिंग जरीये कुदरतीवली माता श्रीमति कमलजीत कौर पत्नि मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–वादीगण–

बनाम्

1. तारा सिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखवीर कौर पुत्री तारा सिंह पत्नि गुरप्रीत सिह जाति जटसिख निवासी चक 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखविन्द्र सिंह पुत्र तारा सिह जाति जटसिख निवासी चक 39 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. मनजीत सिह पुत्र तारासिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादीगण –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए

निर्णय

दिनांकः–3/1/20

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण के दादा प्रतिवादी सं0 1 तारा सिंह के नाम कृषि भूमि चक 39 बीबी के खाता सं0 39/35 के मुरबा नं0 21 के 3.036 है0 व मुरबा नं0 40 के किला नं0 1/0.063, 25/2 में 0.063 है0 कुल 3.226 है0 व खाता सं0 40/36 के मुरबा नं0 52 के किला नं0 16 से 25 में 2.783 है0 का 1/4 भाग दर्ज है व वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम से भूमि चक 39 बीबी खाता सं0 83 के मुरबा नं0 21 के किला नं0 19/2 से 25 में 1.581 है0 व खाता सं0 60/64 के मुरबा नं0 21 के किला नं0 1 से 7/2 में 1.581 है0 व खाता सं0 39 के मुरबा नं0 40 के किला नं0 1 से 15 में 2.973 है0 सुखविन्द्र सिंह के नाम व इसी खाता सं0 39 के मुरबा नं0 40 के किला नं0 11 ता 25 में 3.036 है0, मनजीत

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

सिंह के नाम दर्ज है व खाता सं0 40/36 के मुरबा नं0 52 में 2.783 है0 का 1/4 भाग वादीगण की बुआ प्रतिवादी सं0 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त सम्पति जो कि संयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें वादीगण जो कि प्रतिवादी सं0 1 के पोते है वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा अनुसार संयुक्त परिवार की भूमि में उनके हिस्सा अनुसार काश्त के लिए भूमि दी हुई है, जो निम्न प्रकार से वादीगण काश्त कर रहे है।

1. वादी सं0 1 सुरेन्द्र सिह के कब्जा काश्त में :– मुरबा नं0 21 के किला नं0 11/0.139, 12/0.139, 13/0.139, 14/0.140, 15/0.139, 16/0.253, 17/0.253, 18/0.253, 19/1/0.063 कुल 1.518 है0
2. वादी सं0 2 प्रमित सिह के कब्जा काश्त में :– मुरबा नं0 21 के किला नं0 7/1/0.190, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, 11/0.114, 12/0.144 ,13/0.114, 14/0.113, 15/0.114 है0 कुल 1.518 है0

वादीगण उक्त अनुसार अपने अपने हिस्सा की भूमि काश्त कर रहे है। वादी घरू बंटवारा भूमि अपने नाम कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे। जो ये ही वाद का कारण है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री कर निम्नानुसार वादीगण को भूमि का मालिक घोषित किया जावें।

1. वादी सं0 1 सुरेन्द्र सिह के कब्जा काश्त में :– मुरबा नं0 21 के किला नं0 11/0.139, 12/0.139, 13/0.139, 14/0.140, 15/0.139, 16/0.253, 17/0.253, 18/0.253, 19/1/0.063 कुल 1.518 है0
2. वादी सं0 2 प्रमित सिह के कब्जा काश्त में :– मुरबा नं0 21 के किला नं0 7/1/0.190, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, 11/0.114, 12/0.144 ,13/0.114, 14/0.113, 15/0.114 है0 कुल 1.518 है0 उक्तानुसार अमलदरामद कर राजस्व लगान निर्धारित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 से 4 की ओर से श्री सुभाष किनरा अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब वाद पत्र सहमति का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जावें तो हमारा कोई उज्र एतराज नहीं होगा व प्रतिवादी सं0 2 की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण में मिकरा जो कि प्रतिवादीया है और प्रकरण में वर्णित भूमि जो मेरे पिता तारा सिह के नाम से दर्ज है वह मेरे पिता तारा सिंह को विरास्तन प्राप्त हुई है। जो कि पैतृक सम्पति है। जिसमें कि मुझ मिकरा का भी हक बनता है। मुझ मिकरा द्वारा

(...ष कुमार)
...ण्ड अधिकारी
...मपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

चाहती हूं। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण के वाद पत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में पंचायत द्वारा आपसी समझौता करवा दिया गया है। अतः राजीनामा अनुसार वाद पत्र की मद सं0 4 में बंटवारा अनुसार वादीगण द्वारा दर्ज की गई अपने हिस्सा की भूमि से हम पक्षकारान सहमत है। अब अगर इसी मद सं0 4 में दर्ज वादी सुरेन्द्र सिह व प्रमित सिह की भूमि के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि के संबंध में डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान का कोई उज्र एतराज नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण को राजीनामा के आधार पर तहसील पदमपुर के चक 39 बीबी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में खाता सं0 39/35 में मुरबा नं0 21 के किला नं0 11/0.139, 12/0.139, 13/0.139, 14/0.140, 15/0.139, 16/0.253, 17/0.253, 18/0.253, 19/1/0.063 कुल 1.518 है0 भूमि का वादी सं0 1 सुरेन्द्र सिह पुत्र सुखविन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख को खातेदार मालिक घोषित किया जाता है व तहसील पदमपुर के चक 39 बीबी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में खाता सं0 39/35 में मुरबा नं0 21 के किला नं0 7/1/0.190, 8/0.253, 9/0.253, 10/0.253, 11/0.114, 12/0.144 ,13/0.114, 14/0.113, 15/0.114 है0 कुल 1.518 है0 भूमि का वादी सं0 2 प्रमित सिंह पुत्र मनजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख को खातेदार मालिक घोषित किया जाता हैं। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 3/1/20 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20,रूल 6–7,जाप्ता दीवानी)

(Civil procedure code,Appendix "D 1")

अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम :पदमपुर

इजलास श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

नवान– सुरेन्द्र सिंह आदि बनाम तारा सिंह आदि

ारा :–53,88,188 आरटीए

ुकदमा नं0 257 / 2019

दिनांक : 3/1/20

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू श्री धीरज अरोड़ा वादी व हाजरी मिनजानिब मुदई श्री भाष किनरा मुदायलहम पेश कर होकर हुक्म दिया गया है।

वादीगण को राजीनामा के आधार पर तहसील पदमपुर के चक 39 वीवी की जमाबन्दी सम्वत 0–2073 में खाता सं0 39 / 35 में मुरबा नं0 21 के किला नं0 11 / 0.139, 12 / 0.139, 13 / 0.139, / 0.140, 15 / 0.139, 16 / 0.253, 17 / 0.253, 18 / 0.253, 19 / 1 / 0.063 कुल 1.518 है0 भूमि का वादी 1 सुरेन्द्र सिह पुत्र सुखविन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख को खातेदार मालिक घोषित किया ता है व तहसील पदमपुर के चक 39 वीवी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में खाता सं0 39 / 35 में बा नं0 21 के किला नं0 7 / 1 / 0.190, 8 / 0.253, 9 / 0.253, 10 / 0.253, 11 / 0.114, 12 / 0.144 / 0.114, 14 / 0.113, 15 / 0.114 है0 कुल 1.518 है0 भूमि का वादी सं0 2 प्रमित सिंह पुत्र मनजीत सिंह तारा सिंह जाति जटसिख को खातेदार मालिक घोषित किया जाता हैं। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन ी हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी ने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित ातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...07..... माह ....01... सन 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पदमपुर (श्रीगंगानगर) सत्यमेव जयते मुहर

उपखण्ड अधिकारी
(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

मुदई	रूपये	पैसा	मुदावंली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	0	स्टाम्प वकालतनामा	01	0
स्टाम्प वकालतनामा	01	0	स्टाम्प अरजी	01	0
स्टाम्प डयूटी	150	0	मेहनताना वकील पर	0	0
मीजान	153	0	मीजान	02	0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पदमपुर (श्रीगंगानगर) सत्यमेव जयते मुहर

उपखण्ड अधिकारी
(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.01.09 15:18:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: